Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 52-57

स्वाधीनता आंदोलन में गांधी की पत्रकारिता

डॉ. सुषमा पाण्डेय
आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, टोंक (राजस्थान)

शोध सारांश

शोध पत्र स्वाधीनता आंदोलन में गांधी की पत्रकारिता विषय पर केन्द्रित है। आजादी के लिए किये जाने वाले संघर्ष में जनसामान्य तक अपनी नीतियों की पहुंच गांधी की पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव हो पाई। महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश से पूर्व भी पत्रकारिता के माध्यम से जनचेतना की जागृति का कार्य देशभक्त स्वाभिमानी पत्रकारों द्वारा किया जा रहा था। लेकिन गांधी के चमत्कारी व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा पत्रकारिता में प्रयुक्त शब्दों, चिंतन तथा चेतना का जनमानस पर अमिट प्रभाव पड़ा, जिसकी पूर्णाहुति उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में जनमानस को जोड़कर प्राप्त की। वर्तमान समय में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के रूप में सशक्त पत्रकारिता से मूल्यों का महत्व गौण हो गया है। पत्रकारिता की आज की आवश्यकता सनातन मूल्यों के साथ-साथ ईमानदारी से गांधी के आदर्शों, सिद्धान्तों एवं विचारों का प्रचार व विश्लेषण कर उन्हें जनता तक पहुंचाने की है। आदर्श समाज में नैतिकतायुक्त पत्रकारिता से ही लोकतंत्र में दायित्व निर्वहन कर गांधी के मूल्यों को नमन किया जा सकता है।

संकेताक्षर—*गांधी, पत्रकारिता, लोक कल्याण, सेवा, जन, समाज*

प्रस्तावना

पत्र-पत्रिकाएँ किसी भी युग की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक घटनाओं को न केवल अपने में संजोये रहती हैं बल्कि उनका विशिष्ट ढंग से मूल्यांकन और विश्लेषण भी करती है। ये समाज का ऐसा दर्पण है जिनसे समाज का प्रतिबिंब स्पष्ट एवं मुखर होकर स्वयं ही बोलने लगता है। भारत में पत्रकारिता का इतिहास आजादी के संघर्ष से जुड़ा है। यहाँ पत्रकारिता देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। इस क्रम में अधिकांश लोग जो बड़े पत्रकार हुए, वे बड़े नेता थे। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महासमर में पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण प्रभावकारी अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। किन्तु महात्मा गाँधी के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश के साथ ही पत्रकारिता जगत में नये उत्साह एवं नवचेतना का संचार हुआ। अहिंसा के पथ प्रदर्शक, सत्यनिष्ठ समाज सुधारक राष्ट्रीय नेता महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में विश्वविख्यात गाँधी सबसे पहले कुशल पत्रकार और महान संचारक थे। पत्रकारिता जगत में गाँधी के प्रवेश से पत्रकारिता जगत न केवल पुलकित व रोमांचित हुआ बल्कि निर्भीक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करने लगा।

स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में गाँधीय पत्रकारिता ने स्वाधीनता की संघर्ष चेतना को न केवल लोकाचित में व्यापक स्तर पर संचारित किया बल्कि पत्रकारिता को जनजागरण के स्वर को व्यापक स्तर पर प्रस्फुटित करने वाली शक्ति एवं अमोख स्तर के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। वह जनमानस की समस्याओं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में रखने के प्रबल पक्षधर थे।

महात्मा गाँधी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत पत्रकारिता से ही की थी। उन्होंने स्वतंत्र लेखन के माध्यम से पत्रकारिता में प्रवेश किया था बाद में साप्ताहिक पत्रों का

संपादन किया। बीसवीं सदी के आरंभ से लेकर स्वराज पूर्व के गाँधी युग तक पत्रकारिता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग की पत्रकारिता पर गाँधी जी की विशेष छाप रही। गाँधी कोई पेशेवर पत्रकार नहीं थे, किन्तु उनमें सहज पत्रकार के गुण थे। पत्रकारिता उनके रग-रंग में समाई हुई थी। वे गुजरी सदी के एक बेहद प्रभावकारी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी निर्भीकता, सीधे और सरल शब्दों से करोड़ों लोगों के दिलों दिमाग पर सरलता से पैठ बनाई। वे अपने विचारों से लोगों को एकमेव कर लेते थे। उनमें जनता की नब्ज पहचानने की अद्भुत क्षमता थी और वह उनकी भावनाओं को तुरन्त समझ लेते थे।

गाँधी को महात्मा बनाने का श्रेय पत्रकारिता को जाता है, उनका पत्रकारात्व बहुआयामी था। पत्रकार के रूप में गाँधी ने देश को जागृत किया, जन-जन में राष्ट्रवाद फैलाया, ग्रामोत्थान की बातें की, खादी का प्रचार प्रसार किया। कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो पत्रकार के रूप में नहीं लिखा हो। गाँधी की पत्रकारिता उनकी 'आत्मा की आवाज' थी। उन्होंने पत्रकारिता को केवल पत्रकारिता के प्रयोग के लिये नहीं वरन अपने जीवन के मिशन के साधन के रूप में अपनाया। उनका कहना था कि 'हफ्ते दर हफ्ते' अपने स्तम्भों में मैं अपनी आत्मा उड़ेलता जाता हूं ताकि अपने सिद्धान्तों और सत्याग्रह के अमल के बारे में बता पाऊँ। अपने विचारों की प्रखरता और दृढ़ता तथा भाषा की सरलता और साफगोई की बदौलत गाँधी एक सफल और पूर्ण कालिक पत्रकार हो सकते थे किन्तु पत्रकारिता उनके सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनाये गये उपकरणों में से एक था। इस संदर्भ में गाँधी का कहना था कि 'मैंने पत्रकारिता का व्यवसाय अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के एक सहायक के रूप में चुना है, वे उद्देश्य जिन्हें मैं जरूरी समझता हूँ और जो सत्याग्रह, अहिंसा व सत्य के अन्वेषण पर टिके हैं। उन्होंने पत्रकारिता रूपी हथियार का प्रयोग सत्याग्रह को धार देने के लिए किया।

अपनी आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' में गांधी ने पत्रकारिता के उद्देश्यों को बताते हुए लिखा है कि 'समाचार पत्र का पहला मकसद लोगों की संवेदना को समझना व अभिव्यक्त करना, दूसरी उनके भीतर जरूरी भावनाएँ जगाना व तीसरा मकसद सार्वजनिक दोषों का निडर होकर पर्दाफाश करना होता है। मूलतः पत्रकारिता का उद्देश्य 'सेवा' होना चाहिए। पत्रकारिता का वास्तविक कार्य जनता के मन को शिक्षित करना है न कि वांछित और अवांछित छापों के साथ जमा करना। तथ्यों के अध्ययन हेतु समाचार पत्रों को पढ़ना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र सोच की आदत को खत्म करने की इजाजत कदापि नहीं दी जानी चाहिए।

गाँधी का यह भी कहना था कि 'जब कोई सम्पादक का दायित्व संभालता है तो उसे पूरे कर्तव्यबोध के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। पत्रकारिता का अभ्यास करने का यही एक मात्र तरीका है।' उन्होंने सदैव पत्रकारों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी। वे पत्रकारों के लिये आत्म नियंत्रण और आत्म-अनुशासन में विश्वास करते हैं।

एक पत्रकार के रूप में गाँधी की विशेषता थी कि वे अपने स्वामी अर्थात पाठकों को उनके दुर्गुणों से अवगत करवाते थे। उनकी बुराईयों के बारे में बताने में जरा भी नहीं हिचकते थे जैसे छुआछूत, बाल विवाह, महिलाओं को न पढ़ाना, कोढ़ियों की उपेक्षा। ये सब समाज के दुर्गुण थे लेकिन गाँधी उस समाज के साथ संवाद करके उक्त समस्याओं का समाधान करते थे। जिस आमजन हरिजन एवं सामाजिक समानता के प्रति गाँधी का सम्मान उनकी पत्रकारिता में देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही रुझान उनकी पत्रकारिता में देखा जा सकता है। गाँधी के शब्द और कर्म, चेतना और चिंतन के केन्द्र में सदैव ही अंतिम 'जन' रहता था। वे अंतिम जन की आंख से समाज, देश व दुनिया को देखने के लिए प्रेरित भी करते थे।

पत्रकारिता जगत में गांधी का प्रवेश अकस्मात था जिसे महज एक संयोग कहा जा सकता है। 19 वर्ष की आयु में गाँधी कानून की पढ़ाई के लिये लंदन गये। 18 सितम्बर 1888 को लंदन में गाँधी ने एक समाचार पत्र का अवलोकन किया। इससे पूर्व भारत में गाँधी ने कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ा था। यहीं से गाँधी के विचार मंथन की शुरूआत हुई। उनकी जागृत लेखन शक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम सर्वप्रथम लंदन स्थित 'लंदन वेजिटेरियन सोसायटी' का मुख पृष्ठ 'वेजिटेरियन' बना। इस पत्र में गाँधी के शाकाहार संबंधी अनेक लेख प्रकाशित हुए। शनैः-शनैः अन्य पत्र पत्रिकाओं के प्रति भी गाँधी का आकर्षण बढ़ा। उन्होंने 'टेलीग्राम' और 'डेली न्यूज' जैसे अखबारों में लिखना शुरू किया। सन् 1890 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन से 'इंडिया' नामक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित किया तथा गाँधी को डरबन, जोहान्सबर्ग तथा दक्षिण अफ्रीका में अपने समाचार पत्र का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास

के दौरान गाँधी ने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभावों और अत्याचारों के बारे में भारत से प्रकाशित 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'हिन्दू', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'स्टैट्समैन' आदि पत्रों के लिये अनेक लेख लिखे व साक्षात्कार भेजे। 1899 में उनके विचार जो, बोवर युद्ध से संबंधित थे वे भी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुए।

दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान अश्वेत लोगों के खिलाफ जुल्म की स्थितियों से आहत गाँधी ने अपनी वकालत के जरिये उन्हें हक दिलाने की कोशिश की। एक केस के दौरान गाँधी को कोर्ट परिसर में बिना बगड़ी पहने कार्रवाई के लिए कहा गया। गाँधी ने पगड़ी उतार दी किन्तु अगले ही दिन डरबन के एक स्थानीय संपादक को पत्र लिखकर इस मामले पर अपनी विरोध जताया। उनके इस पत्र को अखबार में जस का तस प्रकाशित किया गया। यहीं से प्रारंभ हुआ गाँधी की पत्रकारिता का सफर।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने गाँधी के लिए पत्रकारिता के द्वार खोल दिए। एक पत्रकार के रूप में गाँधी दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र 'इंडियन ओपिनियन' से प्रतिष्ठित हुए। इस पत्र में भारतीय संस्कृति, धर्म एवं नैतिकता के उच्च आदर्शों से पूर्ण स्वरों की झंकार थी तथा थोरो, रेस्किन एवं टॉल स्टाय के विचारों की झलक भी थी।

गाँधी ने प्रारंभ में मुख्यतः खुले पत्रों एवं संपादकीय पत्रों पर ही ध्यान केन्द्रित किया था किन्तु शीघ्र ही उन्हें अनुभव हुआ कि सामयिक लेखन और समाज पत्रों का आतिथ्य उनके लिए अपर्याप्त था। अतः उन्होंने राजनीतिक अभियान शुरू किया। लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें मुख पृष्ठ की जरूरत थी। अतः उन्होंने 4 जून 1903 में 'इंडियन ओपिनियन' पत्र का प्रकाशन किया। गाँधी दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय को एकजुट करना चाहते थे, इसलिए उन्हें चार भाषाओं अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती एवं तमिल में इसका प्रकाशन किया। इस पत्र के माध्यम से गाँधी का लक्ष्य जहां अंग्रेजी शासकों को अश्वेत आबादी, विशेषतः भारतीय समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं से अवगत कराना था, वहीं दूसरी और उनका ध्येय भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना, स्वतंत्रता जीवन का महत्व तथा उन्हें उनकी कमियाँ तथा कमजोरियाँ बताना भी था। इस साप्ताहिक के प्रवेशांक में गाँधी ने यह भी रेखांकित किया कि 'हम यह मानने को कतई तैयार नहीं कि यहां (दक्षिण अफ्रीका) रहने वाले भारतीयों की जो कमियाँ गिनाई जाती है, हममें वे कमियाँ नहीं हैं। जब कभी भी हमें उनकी गलती नजर आयेगी हम उन्हें बेहिचक बताएंगे और दूर करने के तरीके भी सुझायेंगे।

यह साप्ताहिक पत्र भारतीय समुदाय की शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन चुका था। पत्र के स्तम्भों के माध्यम से गाँधी ने पाठकों को स्वच्छता, आत्मानुशासन एवं अच्छी नागरिकता के बारे में भी शिक्षित किया। साथ ही पत्र के माध्यम से गाँधी ने जनजागरण का मंत्र 'सत्याग्रह' चलाया जो एक दिव्य अस्त्र साबित हुआ।

सत्याग्रह आंदोलन के कारण यह पत्र मुखपत्र बनकर उभरा। पत्र के माध्यम से सत्याग्रह आंदोलन की मुख्य घटनाओं, स्त्री-पुरुषों की बलिदान गाथाओं एवं उनके अजेय नेता के व्यक्तित्व एवं जीवन सिद्धान्तों का भारत तथा संपूर्ण विश्व को परिचय प्राप्त होता था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में सामाजिक-राजनीतिक चेतना जागृत करने एवं उन्हें स्वतंत्रता का महत्व बताने में पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 'इंडियन ओपिनियन' के जरिये गाँधी ने अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं को शिद्दत से उठाया। उनका मानना था कि न्याय एवं समानता के संघर्ष में यह पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसलिए उन्होंने स्वयं के संपादकत्व में इसे प्रारंभ किया। यह गाँधी की सत्यनिष्ठा और निर्भीक पत्रकारिता का ही प्रभाव था कि अफ्रीका जैसे देश में रंगभेद जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद चार अलग-अलग भाषाओं में इस पत्रिका का प्रकाशन होता रहा। गाँधी का कहना था कि 'मेरा ख्याल है कि कोई भी लड़ाई, जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। यदि मैंने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को उनकी स्थिति न समझाई होती तथा पूरे विश्व में फैले भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका की स्थितियों को इस पत्र के माध्यम से अवगत न रखा होता, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता।'

अपनी आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वयं गाँधी ने इस पत्रिका को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए लिखा है कि इस पत्र के लेखों में एक भी ऐसा शब्द मुझे याद नहीं आता जो बिना सोचे-समझे, सचेत रूप से बढ़ा-चढ़ाकर या केवल खुश करने के लिए लिखा गया हो। वास्तव में पत्रिका मेरे लिये आत्मसंयम का प्रशिक्षण और मित्रों के लिये अपने विचारों से जुड़ने का माध्यम बन गई।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के बाद जब गाँधी भारत लौटे तो सन् 1914 में उन्होंने पत्र प्रकाशन की योजना बनाई। उनके समक्ष अनेक पत्रों के सम्पादन भार ग्रहण करने के प्रस्ताव आये किन्तु उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। रोलेट एक्ट एवं जलियाँवाला बाग नरसंहार के खिलाफ 'सत्याग्रह' का बिगुल बजाते हुए गाँधी ने स्वयं के संपादकत्व में 7 अगस्त 1916 को बम्बई से 'सत्याग्रही' नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जो मुख्यतः हिन्दी और अंग्रेजी में निकलता था। इसके पहले ही अंक में उन्होंने रोलेट एक्ट का तीव्र विरोध करते हुए उसे तब तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया जब तक कि रोलेट एक्ट वापस नहीं ले लिया जाता। यद्यपि यह साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र संबंधी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था। इस संदर्भ में गाँधी का कहना था कि सत्याग्रही अपनी विचारधारा को ऐसे ही गैर पंजीकृत पत्रों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते थे। ऐसे पत्र ही एक शक्तिशाली अस्त्र का कार्य कर सकते हैं। यह पत्र सविनय अवज्ञा के हथियार के रूप में था तथा इसके माध्यम से अंग्रेजों को 'रोलेट एक्ट' वापस लेने की धमकी दी गई एवं सत्याग्रह आंदोलन संबंधी गाँधीय विचारों व संदेशों को गुप्त रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य किया गया।

पत्रकारिता की श्रृंखला को जारी रखते हुए गाँधी ने अक्टूबर 1919 में 'नवजीवन' एवं 'यंग इंडिया' का प्रकाशन कर अपना सर्वस्व होम करने का संदेश दिया। इन पत्रों के माध्यम से गाँधी ने सत्याग्रह संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर जनता को सत्याग्रह के बारे में शिक्षित करने का कार्य किया। गाँधी के इस प्रयास ने न केवल बिखरी हुई जनशक्ति को संगठित किया बल्कि उसे राष्ट्रीय विचारधारा के प्रवाह से भी जोड़ दिया। विशेषतः हिन्दी एवं गुजराती भाषा से अनभिज्ञ लोगों को 'यंग इंडिया' पत्र (अंग्रेजी) के माध्यम से जोड़कर, जनजागृति फैलाते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ा एवं ब्रिटिश सरकार को चुनौती भरे पत्र लिखे। इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, गौरक्षा, खादी, श्रम कल्याण, संरक्षकता तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता जैसे रचनात्मक प्रसंगों पर भी अपना लेखन जारी रखा। 15 अगस्त 1921 को 'हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशन कर गाँधी ने हिन्दी पत्रकारिता को गति प्रदान की। इस पत्रिका में देश और समाज के सर्वांगीण विकास के चिंतन को दृष्टिगत रख गाँधी ने रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे- धर्म, वर्ण, श्रमधर्म, दहेज प्रथा, बाल-विवाह, मद्य निषेध, अस्पृश्यता निवारण, बाल विवाह, संतति विग्रह, स्त्रियों के लिए समानता का अधिकार तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, स्वराज्य, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा वायसराय को चुनौती भरे पत्र लिखकर जगजागरण के स्वर और मुखरित किये।

'यंग इंडिया' में गाँधी ने स्वयं की पत्रकारिता पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि 'अपने विश्वास के प्रति ईमानदार होने के लिए मैं क्रोध या द्वेष में नहीं लिख सकता। मैं आलस्य नहीं लिख सकता, मैं केवल जुनून को उत्तेजित करने के लिये भी नहीं लिख सकता। पाठक को उस संयम का कोई अंदाजा नहीं हो सकता है जो मुझे सप्ताह दर सप्ताह अभ्यास करना है और वह है विषयों और शब्दावली का चुनाव। मेरे लिये यह एक प्रशिक्षण है जो यह मुझे स्वयं में झांकने एवं अपनी कमजोरियों की खोज करने में सक्षम बनाता है। अक्सर मेरा घमंड एक अभिव्यक्ति या मेरे क्रोध को एक कठोर विशेषण निर्धारित करता है। यह एक भयानक परीक्षा है लेकिन इन खरपतवारों को हटाने का एक बढ़िया व्यायाम भी है।"

पत्रकारिता की श्रृंखला में गाँधी ने 1933 में क्रमशः अंग्रेजी, गुजराती एवं हिन्दी में हरिजन, हरिजनबंधु तथा हरिजन सेवक पत्रों की शुरूआत की। 11 फरवरी 1933 को घनश्याम दास बिड़ला की सहायता से 'हरिजन' का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था क्योंकि उस समय गाँधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में पूना जेल में थे तथा वहीं से पत्र का संचालन करते थे। 18 अगस्त 1946 के 'हरिजन' में गाँधी ने लिखा कि पत्रकारिता मेरा 'प्रोफेशन' नहीं है और वे तो अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए लिखते हैं। ये तीनों समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता और गरीबों के विरूद्ध उनके धर्मयुद्ध के वाहक बने। इनमें सामाजिक एकता और बराबरी का संदेश था। गाँधी की लोकप्रिय पत्रिका 'द हरिजन' पूर्णतः हरिजनों या भगवान के लोगों, जैसा वे अछूतों को कहते थे, के लिए समर्पित थी। इसमें गांवों एवं रचनात्मक कार्यों का भी उल्लेख था। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों ने देशभर में जनजागरण का कार्य किया क्योंकि गाँधी इनमें हर प्रान्त/राज्य की समस्याओं व घटनाओं का न केवल उल्लेख करते थे बल्कि उन पर अपना मत भी व्यक्त करते थे। इनके माध्यम से अवज्ञा और बलिदान की टिप्पणी ने सत्याग्रह के एक 'हथियार'

के रूप में पत्रकारिता के विकास को नई प्रेरणा दी। इन पत्रों के माध्यम से गाँधी ने एक पत्रकार का विशिष्ट, विलक्षण कार्य देश के मानस को पढ़ने तथा मानस को निश्चित व भयमुक्त अभिव्यक्ति प्रदान करने की बताई।

गाँधी की पत्रकारिता पर एम.वी. कामथ ने लिखा कि 'गाँधी इस प्रकार लिखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके। उनमें साहित्यिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, पर उन्होंने जो भी लिखा, वह साहित्य है। वे नियंत्रित कलम और अभिव्यक्ति के पक्ष में थे।' सर ए.वी.एलेक्जॉण्डर के अनुसार गांधी के संपादकीय लेखों का एक-एक वाक्य 'थॉट फार द डे' के लिये मुनासिब था। हर वाक्य को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता था मानो दस-दस बार तौला गया हो।

समाज शास्त्री आनंद कुमार ने अपने लेख 'गाँधी जी संवादी पत्रकार थे' में लिखा है कि एक पत्रकार के रूप में गाँधी जी किसी भी प्रकार के दबाव से परे थे। उनके जीवन की तरह उनकी पत्रकारिता भी सत्य और नैतिकता के आग्रह से संचालित थी। क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद उनके लिये न तो भाषाएँ दीवार खड़ी कर सकीं और न ही वर्गीय दबाव उन्हें ऐसा करने के लिये बाध्य कर सके। महात्मा गाँधी की पत्रकारिता के स्वराज आंदोलन, राष्ट्रभाव के विकास तथा राष्ट्रीय जागरण के संबंध में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि गाँधी से महान सम्पादक कदाचित इस देश में पैदा नहीं हुआ, जिस दिन हमने गाँधी को खोया, उसी दिन पत्रकारिता देशभक्ति के धर्म से हटकर राजनीति का जकड़-व्याल हो गई।

निष्कर्ष

गाँधी की पत्रकारिता शुरू से लेकर अंतिम समय तक संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। कभी गाँधी पत्रकारिता पर, तो कभी पत्रकारिता गाँधी पर भारी पड़ी। शह-मात का खेल उनके जीवन पर्यन्त चला। गाँधी विपरीत परिस्थितियों में सदैव खड़े रहे और उनकी पत्रकारिता भी। उनमें संकल्प था। गाँधी ने अपने उद्देश्य के माध्यम/साधन के रूप में जिस तरह पत्रकारिता का उपयोग किया तथा जिस संकल्प से पत्रकारिता को पूरे समाज की मंगल भावना से जोड़ा, यदि आज की पत्रकारिता भी वैसा करे तथा पत्रिकाओं/अखबारों में समाज, जीवन व सभ्यता के आदर्श की झलक प्रस्तुत करें तो वह निःसंदेह गाँधी जी जैसी पत्रकारिता होगी। किन्तु दुर्भाग्य से आज हम देखते हैं कि सर्वत्र गाँधी मूल्यों का क्षरण हो रहा है। स्वयं पत्रकारों के संस्कारों में गाँधीवादी पत्रकारिता के मूल्य नहीं है। आज की पत्रकारिता 'आखिरी व्यक्ति की चिंता' नहीं बल्कि 'सत्ता में शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की चिंता' कर रही है। जबकि पत्रकारिता के मूल्य सनातन है। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन से इसके मूल्यों में क्षरण नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता समाज को दुगुर्णों, बुराइयों से अवगत कराके उनके समाधान की दिशा में कार्य करें न कि किसी दबाव में रहकर कार्य करें। आज भी कतिपय ऐसे पत्रकार हो सकते हैं जिनके जीवन में गाँधीवादी पत्रकारिता के मूल्य हो क्योंकि अपने समय में गांधी भी 'कुछेक' में से एक थे ऐसे ही कुछेक लोग अपनी प्रतिबद्धता से हर क्षेत्र के सनातन मूल्यों को संरक्षित करके रखते हैं। यह बात पत्रकारिता पर भी लागू होती है। गाँधी ने कहा था कि पत्रकारिता एक सुंदर कला है, पर आजकल इसका दुरुपयोग होता है। निश्चय ही यह एक शक्ति है, किन्तु इस शक्ति का बुरा इस्तेमाल एक अपराध है। आज ईमानदार पत्रकारिता की जमीन सिमटती जा रही है। पत्रकारिता के इस संक्रमण काल में आज के पत्रकार यदि गाँधी की संपादन नीतियों और समीक्षक वृत्ति का अनुसरण करें तो देश की दशा व दिशा बदल सकती है। गाँधी की पत्रकारिता ही सब सवालों का जवाब है। एक पत्रकार के रूप में गाँधीय लेखों के संदेशों की शक्ति आने वाले समय के लोगों एवं राष्ट्रों को प्रेरित करती रहेगी। आवश्यकता है कि पत्रकारिता में गाँधी के आदर्शों, सिद्धान्तों व विचारों का प्रचार व विश्लेषण कर उन्हें जनता तक पहुंचाने का कार्य जारी रहे। आखिरी व्यक्ति की चिंता, बोलचाल की भाषा, अपनी भाषा के प्रति लगाव या निष्ठा। यही गाँधी की पत्रकारिता का सार है ओर यही सीखने की बात है। गाँधी की पत्रकारिता के सिद्धान्त सदैव प्रासंगिक व अविस्मरणीय रहेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. परेल, ए.जे., गाँधीवादी स्वतंत्रता और स्वशासन, विस्तार प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
2. मूर्ति, डी.वी.आर., गाँधीवादी पत्रकारिता : क्या यह आज प्रासंगिक है?, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010
3. बाबू, डॉ. के.जॉन, गाँधी का प्रेरक संचार और आदर्श, जर्नल ऑफ गाँधीयन स्टडीज, वाल्यूम, 3 नम्बर, 2 पी.पी. 451-464, जून-दिसम्बर 2014
4. नटराजन, जे., भारतीय पत्रकारिता का इतिहास (दूसरी छाप), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2000

5. गोयनका, क.क., गाँधी : पत्रकारिता के प्रतिमान, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 2016
6. नवभारत टाइम्स, दैनिक-राष्ट्रीय आंदोलन और हिन्दी दैनिक, 19 मार्च 1964
7. कुमार, संदीप, शोध प्रबंध-हिन्दी पत्रकारिता और गाँधी : इतिहास विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश
8. सहाय, डॉ. साकेत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं लोकतंत्र, अपनीमाटी डॉट कॉम, 31 मार्च 2022
9. भूषण, रवि, गाँधी की पत्रकारिता, प्रभात खबर, 24 सितम्बर 2019
10. सिंह, राकेश, पत्रकार के रूप में गाँधी, प्रज्ञा संस्थान, नई दिल्ली
11. रेणु, राकेश, गाँधी की पत्रकारिता के बरक्स आज की पत्रकारिता, लोकनीति केन्द्र, प्रज्ञा संस्थान, नई दिल्ली
13. मिश्रा, अखिलेश, पत्रकारिता मिशन से मीडिया तक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
14. गांधी, महात्मा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, रोमा रोलां
15. सिक्किम यूनिवर्सिटी, एचटीटीपीएसः//14.139.206.507 जेएसपीयूआई (पीडीएफ), सेवा भाव से प्रेरित पत्रकारिता-गांधी के विशेष संदर्भ में।